

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

F 21(4)GAD/4/2025-26-04127

जयपुर, दिनांक E-Signed Date

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

Sanction No. (2025-26)

विषय : गांधीनगर, जयपुर स्थित पंचम श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार गांधीनगर जयपुर स्थित पंचम श्रेणी राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु राशि रुपये **4.37 Lac (अक्षरे रुपये चार लाख सैंतीस हजार मात्र)** के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

S. N	Name of allottee and Qtr No.	Pre Allotted for House		Description of proposed work			Total Amount (Lac)
		Block Year	Amount	S. N	Work	Amount	
1	Sh Rohit Kumar Sain, Qtr No. G-687 Gandhi Nagar, Jaipur	2025-26 2026-27 2027-28		1	Kitchen renovation	0.30	1.16
				2	Mat tile with adhesive and dismantling	0.25	
				3	White wash and enamel work with putty	0.35	
				4	Electric work	0.10	
					Total A	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					Total B	1.03	
					Prorata 13%	0.13	
2	Sh Sohan Kachwaha, Qtr No. G-846 Gandhi Nagar, Jaipur	2025-26 2026-27 2027-28		1	Mat tile with adhesive and dismantling	0.38	1.16
				2	Plaster repair	0.20	
				3	MS door	0.09	
				4	replacement of Pvc door	0.13	
				5	Electric work	0.20	
					Total A	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					Total B	1.03	
3	Sh Upendra Singh Jadaun, Qtr No G-774 Gandhi Nagar, Jaipur	2025-26 2026-27 2027-28		1	Bath room Renovation	0.41	1.16
				2	Plaster repair	0.09	
				3	Vitrified tiles	0.40	
				4	Electric work	0.10	
					Total A	1.00	
					Cont. 2.5%	0.03	
					Total B	1.03	
					Prorata 13%	0.13	
4	Sh Dilip Singh, Qtr No G-830, Gandhi Nagar Jaipur	2025-26 2026-27 2027-28		1	Bath room Renovation	0.35	0.89
				2	Plaster repair	0.12	
				3	Electric work	0.30	
					Total A	0.77	
					Cont. 2.5%	0.03	
					Total B	0.79	
					Prorata 13%	0.10	

Signature valid

Digitally signed by Dataram
Designation Joint Secretary
Date: 2025.07.04 10:32:18 IST
Reason: Approved



यह व्यय 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01— सरकारी रिहायशी भवन, 700— अन्य आवास (09) पंचम एवं षष्ठम श्रेणी के आवास [90] — निर्माण कार्य—स्कीम 16 —लघु निर्माण कार्य में चालू **वित्तीय वर्ष 2025—26 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।**

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)साप्र-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 (यथासंशोधित) के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(दाताराम)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : —

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड—III, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, अजमेर।
5. संबंधित आवासी।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dataram
Designation: Joint Secretary
Date: 2025.07.04 10:32:18 IST
Reason: Approved